न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 04/2020

: 1. श्रीमती बादाम देवी पत्नी स्व. श्री जितेन्द्र जाति–कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरदेव जोशी कॉलोनी, फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0

2. गुंजन पुत्री स्व. जितेन्द्र जाति–कुम्हार निवासी– हरदेव जोशी कॉलोनी, फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0 अव्यस्क जरिये वली प्राकृतिक माता श्रीमती बादाम देवी पत्नी स्व. श्री जितेन्द्र जाति–कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरदेव जोशी कॉलोनी, फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0

3. अक्षत पुत्र स्व. जितेन्द्र जाति–कुम्हार निवासी हरदेव जोशी कॉलोनी, फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0 अव्यस्क जरिये वली प्राकृतिक माता श्रीमती बादाम देवी पत्नी स्व. श्री जितेन्द्र जाति–कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरदेव जोशी कॉलोनी, फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0

–अपीलार्थी

बनाम

1. नवनीत पुत्र प्रेमचन्द उम्र 39 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरदेव जोशी कॉलोनी फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0
2. प्रेमदेवी पत्नी प्रेमचन्द जाति–कुम्हार निवासी हरदेव जोशी कॉलोनी फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0
3. रेखा पुत्री प्रेमचन्द पत्नी विजय कुमार जाति कुम्हार निवासी–5/37, कुमावत कॉलोनी वार्ड नम्बर–22, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. सुमन देवी पुत्री प्रेमचन्द पत्नी हेमन्त जाति कुम्हार निवासी अणतपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0
5. कुन्दनमल पुत्र अन्ना जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरदेव जोशी कॉलोनी फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0
6. गंगाराम पुत्र अन्ना जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरदेव जोशी कॉलोनी फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0
7. गोरा देवी पुत्री अन्ना जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी श्रीनगर रोड मदार अजमेर, जिला अजमेर राज0
8. कानी देवी पुत्री अन्ना जाति–कुम्हार (प्रजापति) निवासी–हिरनोदा फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0
9. रामा देवी पुत्री अन्ना पत्नी बंशी जाति कुम्हार निवासी

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

बिहारी पोल नया शहर कुमावत कॉलोनी किशनगढ, जिला अजमेर राज0

10. जगदीश पुत्र पारादेवी पुत्री अन्ना पत्नी बंशीलाल जाति–कुम्हार, निवासी–बिहारी पोल नया शहर कुमावत कॉलोनी, किशनगढ, जिला अजमेर राज0
11. हुक्मीचन्द पुत्र पारादेवी पुत्री अन्ना पत्नी बंशीलाल जाति कुम्हार निवासी–बिहारी पोल नया शहर कुमावत कॉलोनी, किशनगढ, जिला अजमेर राज0
12. सम्पत देवी पत्नी चांदमल मारोठिया जाति कुम्हार, निवासी–बिहारी पोल नया शहर कुमावत कॉलोनी किशनगढ, जिला अजमेर राज0
13. तहसीलदार, तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर राज0
14. उपपंजीयक, तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर राज0

–रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 18/11/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री तरूण कुमावत अपीलांट की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थी द्वारा सजरा खानदान दर्शित करते हुए अपील में अंकित किया गया है कि ग्राम फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 239 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसका वर्तमान रकबा 0.6575 हेक्टेयर है, अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 12 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जो अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 12 के पूर्वज अन्ना पुत्र मोटा के नाम से राजस्व रिकार्ड में लगभग 50 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। वंशावली के अनुसार स्व. अन्ना पुत्र मोटा के प्रथम श्रेणी में विधिक वारिसान में उनकी पत्नि श्रीमती केसर देवी (फौत) व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 अन्ना के पुत्र तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–8, 9 पुत्रीयां पारा देवी (फौत) पुत्री स्व. अन्ना की पुत्रीयाँ हैं, जिसमें से पारा देवी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके लीगल वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या–10 ता 12 है तथा स्व. अन्ना के पुत्र प्रेम चन्द का भी स्वर्गवास हो चुका है। जिसके लीगल वारिसान में प्रतिवादी प्रेम चन्द के पुत्र जितेन्द्र था जिसकी मृत्यु दिनांक 21.04.2011 को हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान मे अपीलार्थीगण जायन्दा वारिस है। अन्ना की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 239 मे अपीलार्थी, रेस्पोडेन्ट का हक व हिस्सा निहित है जिसमें अपीलार्थी संख्या–1 व उसके पति व अपीलार्थी संख्या 2 व 3 के पिता तथा जितेन्द्र पुत्र प्रेमचन्द का स्वर्गवास दिनांक 21.04.2011 को हो चुका है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी स्व. अन्ना पुत्र मोटा के पौत्र जितेन्द्र के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है। इस प्रकार अपीलार्थी का प्रेम चन्द पुत्र अन्ना की विरासत के अनुसार प्रेमचन्द के 1/7 हिस्से में से 1/5 हिस्से अर्थात कुल रकबा का 1/35 वे हिस्से के विधिक वारिसान है तथा अपीलार्थी अपने हिस्सा 1/35 पर रेस्पोडेन्ट के साथ अविभाजित अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अन्ना पुत्र मोटा का स्वर्गवास दिनांक 06.10.1985 को हो चुका है तथा स्वर्गवास के पश्चात विधिक वारिसान में प्रेम चन्द का पुत्र जितेन्द्र भी वारिस था

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

का जितेन्द्र के विधिक वारिसानों में अपीलार्थीगण जितेन्द्र के विधिक वारिसान है। जितेन्द्र की मृत्यु दिनांक 21.04.2011 को हो जाने के पश्चात जितेन्द्र के विधिक वारिसान अपीलार्थीगण जीवित हैं जो विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 239 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा के अविभाजित 1/35 वे हिस्से पर काबिज काश्त तथा उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। दिनांक 09.06.2020 को रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ता 4 तथा कुछ भू–माफिया लोग मौके पर आकर जमीन की नाप जोख करने लगे तथा अपीलार्थीया की जमीन पर भी पत्थरगढी व प्लाटों का डिमार्केशन करने लगे तब सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.06.2020 को हुई कि राजस्व केम्प में दिनांक 25.03.2013 को नामान्तकरण सख्या–2796 विरासत के आधार पर खुलवा लिया गया। जिसमें अपीलार्थीया के पति जितेन्द्र का नाम नहीं है, ना ही अपीलार्थीया व उसके पुत्र व पुत्री का नाम विधिक वारिसान मे लिखा हुआ है तथा उक्त नामान्तकरण संख्या–2796 दिनांकित– 25.03.2013 विधि विरूद्ध जाकर तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तकरण सख्या–2796 दिनांकित– 25.03.2013 विधि विरूद्ध जाकर तस्दीक किया गया है जो कि न्यायिक सिद्वान्त व कानून के विपरीत जाकर तस्दीक किया गया। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर तथा बिना विधिक वारिसों की जानकारी प्राप्त किये ही दिनांक–20.03.2013 को झूठी पटवारी रिपोर्ट बना कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा रेस्पोडेन्ट सख्या–1 ता 4 द्वारा झूठे शपथ पत्रों के आधार पर नामान्तकरण संख्या–2796 दिनांकित – 25.03.2013 तस्दीक करवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 4 द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है उसमें स्वर्गीय जितेन्द्र को प्रेमचन्द का वारिस नहीं माना केवल रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 4 को ही विधिक वारिसान मानते हुए झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। नामान्तकरण स्वीकृति के समय स्वर्गीय जितेन्द्र के प्रथम श्रेणी मे वारिसान जीवित थे जिनको नामान्तकरण स्वीकृति के समय सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 239 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा अन्ना की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा अपीलार्थीगण की पैतृक सम्पति होने के कारण धारा–6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त आराजीयात में विरासती अधिकार व हक, हिस्सा निहित है। अपीलार्थी सख्या–1 स्वर्गीय जितेन्द्र की पत्नि, अपीलार्थी सख्या–2 पुत्री तथा अपीलार्थी सख्या–3 पुत्र है जो कि प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति में धारा–8 के प्रावधानो के अनुसार अपीलार्थीगण उक्त सम्पति के कानूनी वारिस है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सख्या–2796 दिनांकित 25.03.2013 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलार्थी ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित गया है कि विवादग्रस्त नामांन्तरण सख्या 2796 दिनांक 25.03.2013 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलार्थीया को दिनांक 09.06.2020 को हुई। कोविड 19 कोरोना महामारी के चलते लॉक डाउन होने के कारण प्रार्थीया को समय पर विवादग्रस्त नामान्तकरण की सत्यापित प्रतिलिपी नहीं मिली। अपीलार्थीगण की अपील में विधि एवं तथ्य के महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्वलित है जिनका निस्तारण गुणावगुण पर सुनवाई पर ही किया जा सकता है। इसलिए तकनीकी आधार पर प्रार्थीगण को न्याय से वंचित कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। अपील को मियाद में माना जाकर निर्णित किया जाता है तो अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के कोई विधिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे बल्कि प्रकरण का न्यायपूर्ण निस्तारण हो पायेगा।

अन्त में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारित करने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट ने अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र, नामान्तरण की सत्यापित प्रतिलिपी, जमाबन्दी की प्रतिलिपी, राशन कार्ड की प्रतिलिपी, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी पेश की है।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे अंकित किया गया है कि अपीलाधीन भूमि ग्राम फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 239 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसका वर्तमान रकबा 0.6575 हेक्टेयर अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 12 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जो अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 12 के पूर्वज स्व0 अन्ना पुत्र मोटा के नाम से राजस्व रिकार्ड में लगभग 50 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी स्व. अन्ना पुत्र मोटा के पौत्र जितेन्द्र के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है। इस प्रकार अपीलार्थी का प्रेम चन्द पुत्र अन्ना की विरासत के अनुसार प्रेमचन्द के 1/7 हिस्से में से 1/5 हिस्से अर्थात कुल रकबा का 1/35 वे हिस्से के विधिक वारिसान है तथा अपीलार्थी अपने हिस्सा 1/35 पर रेस्पोडेन्ट के साथ अविभाजित अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। राजस्व केम्प में दिनांक 25.03.2013 को नामान्तकरण सख्या–2796 विरासत के आधार पर खुलवा लिया गया। जिसमें अपीलार्थीया के पति जितेन्द्र का नाम नहीं है, ना ही अपीलार्थीया व उसके पुत्र व पुत्री का नाम विधिक वारिसान मे लिखा हुआ है तथा उक्त नामान्तकरण संख्या–2796 दिनांकित–25.03.2013 विधि विरूद्ध जाकर तस्दीक किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर आकर तथा बिना विधिक वारिसों की जानकारी प्राप्त किये ही दिनांक–20.03.2013 को झूठी पटवारी रिपोर्ट बना कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा रेस्पोडेन्ट सख्या–1 ता 4 द्वारा झूठे शपथ पत्रों के आधार पर नामान्तकरण संख्या–2796 दिनांकित – 25.03.2013 तस्दीक करवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 4 द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है उसमें स्वर्गीय जितेन्द्र को प्रेमचन्द का वारिस नहीं माना केवल रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 4 को ही विधिक वारिसान मानते हुए झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। स्वर्गीय प्रेमचन्द कुमावत पुत्र स्वर्गीय अन्नाराम का एक पैतृक मकान भूखण्ड संख्या 63, हरदेव जोशी कॉलोनी, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित है। इसके बाबत अपीलार्थीगण द्वारा बंटवारा सबंधी वाद माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कम संख्या 2, सांभरलेक, जिला जयपुर में उनवानी श्रीमती बादाम देवी बनाम नवनीत व अन्य प्रस्तुत किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2024 को आदेश पारित करते हुए प्रेमचन्द के विधिक वारिसानो में उक्त भूखण्ड में 1/15–1/15 के मालिक अपीलार्थीगण को घोषित किया गया है। स्व0 प्रेमचन्द दूरसंचार विभाग मे कार्यरत कर्मचारी था तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके स्थान पर उनके बडे पुत्र स्व0 जितेन्द्र नियुक्त हुआ, जिसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसानों में अपीलार्थीया व उसके पुत्र व पुत्री थे। अपीलार्थीया के पति स्व0 जितेन्द्र जो कि स्व0 प्रेमचन्द का जायन्दा पुत्र था जिसका स्वर्गवास दिनांक 21.04.2011 को विवादित नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व हो गया था। नामान्तकरण स्वीकृति के समय स्वर्गीय जितेन्द्र के प्रथम श्रेणी मे वारिसान जीवित थे जिनको नामान्तकरण स्वीकृति के समय सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 239 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा अन्ना की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा अपीलार्थीगण की पैतृक सम्पति होने के कारण धारा–6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त आराजीयात में विरासती अधिकार व हक, हिस्सा निहित है। अपीलार्थी सख्या–1 स्वर्गीय जितेन्द्र की पत्नि, अपीलार्थी सख्या–2 पुत्री तथा अपीलार्थी सख्या–3 पुत्र है जो कि प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति में धारा–8 के प्रावधानो के अनुसार अपीलार्थीगण उक्त सम्पत्ति के कानूनी वारिस है।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अन्त में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 2796 दिनांक 25.03.2013 निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली रिमाण्ड फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 3 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट सं0 1 लगा0 3 द्वारा प्रश्नगत आराजी के संबंध में एक राजस्व वाद पत्र सं0 32/2020 दिनांक 15/06/2020 को उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जो विचाराधीन है। अपीलान्ट ने उपरोक्त वादपत्र के तथ्यों को छिपाकर अपील पेश की है, अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से नहीं आए हैं। नामान्तकरण दिनांक 25/03/2013 का तथा अपील वर्ष 2020 में प्रस्तुत की गई है। अपील की मियाद 30 दिवस निर्धारित है। अपीलान्ट ने करीब 2500 दिवस के डिले से अपील पेश की है। अपील अवधि बाधित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को दिनांक 09/06/2020 को जानकारी किस प्रकार हुई? वर्णन नहीं किया गया। 2013 से 2019 तक कोई कोरोना महामारी नहीं थी। लॉकडाउन वर्ष 2020 में लगा था। इससे पहले लॉकडाउन नहीं था। मियाद बाहर होने का पर्याप्त व संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किए हैं। नियमित राजस्व वादपत्र बावत घोषणा खातेदारी का विचाराधीन रहते अपील की कार्यवाही को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 55 व 64 के तहत स्थगित की जाना आज्ञापक है। अपीलान्ट का प्रश्नगत भूमि में हक व अधिकार किस प्रकार है? यह नियमित वाद पत्र में पक्षकारों के जवाब साक्ष्य से ही तय हो सकता है। नामान्तकरण की कार्यवाही को चुनौती दिए जाने से नहीं। नामान्तरण की कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही है, जिससे लगान का निर्धारण होता है। नामान्तरण से अधिकार अर्जित नहीं होते, ना ही अधिकार तय किए जा सकते हैं। सम्पूर्ण मामला विरासत के प्रश्न को लेकर है, जो कि नियमित वाद कार्यवाही में साक्ष्य से ही गुणावगुण पर तय होता है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता एकपक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण तहसीलदार फुलेरा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 2796 दिनांक 25/03/2013 के विरूद्ध पेश किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में अंकित है कि उक्त भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज अन्ना पुत्र मोटा कुम्हार के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। उक्त भूमि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 12 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलार्थीगण विधिक वारिसान होने के कारण अपीलाधीन भूमि के हिस्सेदार हैं। उक्त तथ्य का खण्डन रेस्पोडेन्ट्स ने अपने जवाब में भी नहीं किया है। साथ ही अपीलार्थी का कथन है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। मियाद के बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि यदि आदेश द्वारा किसी व्यक्ति के हक व अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय को न्याय हित में मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। चूंकि अपीलार्थीगण अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार काश्तकार के विधिक वारिस होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलाधीन भूमि में अपीलार्थीगण का हक व हिस्सा निहित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण 2796 दिनांक 25/03/2013 वाके ग्राम फुलेरा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार फुलेरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अपीलाधीन भूमि के सन्दर्भ में उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा विरासत अनुसार गुणावगुण के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर
जिला (पूर्व) जयपुर